

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— BRRDA(HQ) MMGSY(NDB) 242/19 Part II 2140 / पटना, दिनांक— 24.9.2020

प्रेषक,
संजय दूबे भा0प्र0से0
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0519-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित], जिसका विपत्र कोड संख्या-37-4515-00-103-0519 है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित] के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु अलग-अलग योजनाओं के लिए पथवार/पुलवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत [NDB(BRICS) सम्पोषित] वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पथ निर्माण की कुल 07 पथ एवं इसके आरेखण पर पड़ने वाले 10 RCC High level Bridges, के निर्माण एवं इनके पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-11 में पथ एवं पुल के लिए अंकित राशि की प्रशासनिक अनुमोदन स्तम्भ-12 के अनुसार प्रदान किया जाता है।

तालिका

Sl No.	District	Division	Block	Habitati on	Populatio n	Road From	Road To	State Link No	Length as per DPR (In km)	Estimated Cost (In Laacs)	Consolidate d Administrati ve Approval Amount (In Laacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Araria	Forbesganj	Narpatganj	ऋषिदेव टोला (कुन्डील पुर)	800	A Rishideo tol (Kundlipur)	Garibdas tol	50243	5.000	544.324	1270.660
						B H.L.Bridge of size 1x18.75M at Ch.0160.00M of Road- Rishideo tol (Kundlipur) to Garibdas tol			20.29M	173.540	
						C H.L.Bridge of size 1x18.75M at Ch.1900.00M of Road- Rishideo tol (Kundlipur) to Garibdas tol			20.29M	164.720	
						D H.L.Bridge of size 3x18.75M at Ch.2200.00M of Road- Rishideo tol (Kundlipur) to Garibdas tol			60.87M	388.070	

Sl No.	District	Division	Block	Habitati on	Populatio n	Road From		Road To	State Link No	Length as per DPR (In km)	Estimated Cost (In Lacs)	Total Technical Approval Amount (In Lacs)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
2	Araria	Forbesganj	Raniganj	केवट टोला	516	A	Chhavi Dhayo	Parihari kewar tola	S091	3.420	388.240	1405.530
						B	H.L.Bridge of size 2x18.75M at Ch.0160.00 M OF Chhavi Dhayo to Parihari kewar tola			40.58 M	291.420	
						C	H.L.Bridge of size 1x18.75M at Ch.1200.00M -Chhavi Dhayo			20.29 M	163.190	
						D	H.L.Bridge of size 5x18.75Mat Ch.1600.00M -Chhavi Dhayo to Parihari kewar tola			101.45 M	562.680	
3	Saharsa	Saharsa	Kahra	बनगाँव दक्षिण	5002	A	MMGSY Road Bangaon Chainpur Road Vaidyanath Khan House	Koyla Dhan Tak	S078	2.395	213.314	551.310
						B	H.L.Bridge of size 3x16.50M at Ch. 800.00M -MMGSY Road Bangaon Chainpur Road Vaidyanath Khan House to Koyla Dhan Tak			54.16 M	337.996	
4	Madhepura	Madhepura	Kumarkhand	सेमारी	536	A	PMGSY Kankar	Semarahi	S014	3.675	338.555	806.960
						B	H.L.Bridge of size 5x16.50 at Ch.1200.00 M OF PMGSY Kankar to Semarahi Road			90.24M	468.415	
5	Samastipur	Rosra	Singhia	बलाढ	386	A	T01 (Pipra) With	Baladh	S07	3.400	267.680	635.760
						B	HL Bridge of size 3x18.75M at Ch. 030.00M OF T01 (Pipra) to Baladh Road			58.04M	368.080	
6	Supaul	Triveniganj	Pipra	कामत टोला	276	A	maheshpur dubiyahi PMGSY path	sah tola mahadalit tola muslim tola hote huwe	S074	6.440	543.550	543.550
7	Darbhanga	Biraul	Kusheshwar Asthan Purbi	गैजोरी	775	A	Mahadevmath	Gerjori	S016	7.920	786.998	1444.780
						B	H.L.Bridge of size 5x18.75M at Ch. 5720.00M OF Mahadevmath to Gerjori Road			96.6 M	657.787	
Total length of the road (A) & Total Cost										32.250		6658.550

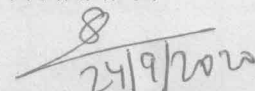
2. माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक:-16.09.2020 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

- (क) उक्त योजनाओं को वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2020-21 एवं 2021-2022 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- (ख) संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
- (घ) संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडलों योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
16. योजनाओं की निविदा, ई-निविदा के माध्यम से मुख्यालय द्वारा करायी जायेगी।
17. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।
18. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका एवं NDB से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
19. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त के पूर्व एवं डी0पी0आर0 के साथ Social and Environment से संबंधित प्रपत्र संलग्न कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।
20. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
21. मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0519-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित], जिसका विपत्र कोड संख्या-37-4515-00-103-0519 है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB सम्पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (क) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित], के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

24/9/2020

- (ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि(2), दिनांक-03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों को आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- (ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
- (घ) प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (ङ) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
22. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
23. पथों में प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुलों के DPR की समीक्षा State Technical Agency (STA) से कराये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया जाना है।
24. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 16.09.2020 को संचिका संख्या:- BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 Part II के पृष्ठ-25/टि0 पर प्राप्त है।
25. इस योजना मद में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
26. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या:- BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 Part II के पृष्ठ ~~26~~/टि0 पर दिनांक:- ~~21-9-2020~~ को विभागीय सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 Part II के पृष्ठ संख्या:- ~~27~~/टि0 पर दिनांक:- ~~22-9-2020~~ को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

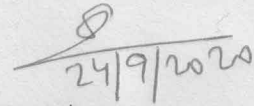

सरकार के अपर सचिव



ज्ञापांक: BRRDA(HQ) MMGSY(NDB)-242/19 Part II 2140

/पटना, दिनांक- 24.9.2020

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1, 2, 3, पटना/मुख्य अभियंता-4/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


24/9/2020
सरकार के अपर सचिव

